दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2019/(11) 1816 दिनांक 30/05/2019

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर

विषय : स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों (संस्कृत, हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी एवं गृहविज्ञान) में अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने **निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त कमियों एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अनापत्ति आदेश सम्बन्धी पत्र में उल्लिखित कमियों/शर्तों का निराकरण/पूर्ति, महाविद्यालय द्वारा दिनांक 30 जून, 2019 तक कर लिया जायेगा, के शर्त के अधीन , दिनांक 01.07.2019 से आगामी तीन वर्ष हेतु वांछित विषयों में कमियों को पूर्ण करने की शर्त पर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है, अन्यथा की स्थिति में जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों (संस्कृत, हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी एवं गृहविज्ञान) में अस्थाई सम्बद्धता दिनांक 01.07.2019 से तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा— प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदन वांछित है। अद्यतन परीक्षाफल वांछित है। मूल एफडीआर वांछित है। साथ ही अनापत्ति पत्र में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर– 2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. **महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**
14. **महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2017–18 एवं 2018–19 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**
15. **महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्याः दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2019 /.....तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1). प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर। (3). अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर। (4). उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय। (5). सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ। (6). गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2019/(6)/1219 दिनांक 03/10/2019

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर।

विषय : **विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर** को **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों (संस्कृत, हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी) में अस्थाई सम्बद्धता कक्षा संचालन** की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अनिधिनियम, 1973 (यथा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत **विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश के क्रम में विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर** को **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों (संस्कृत, हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी) में अस्थाई सम्बद्धता** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन दिनांक **01 जुलाई, 2019 से आगामी तीन वर्ष हेतु** सम्बद्धता प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधित अधिनियम, 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत दी गयी सम्बद्धता के दृष्टिगत कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में **विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर** को **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों (संस्कृत, हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी) में अस्थाई सम्बद्धता** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक **01 जुलाई, 2019 से आगामी तीन वर्ष हेतु कक्षा संचालन** की अनुमति प्रदान की जाती है–

1. **विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश के क्रम** में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह कक्षा संचालन है, जिसमें इंगित कमियों ***यथा– (प्राचार्य अनुमोदित नहीं हैं,) (शिक्षकों का नियुक्ति पत्र कार्यभार ग्रहण एवं सेवा पत्र वांछित है)*** **की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।**
2. **संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।**
3. **महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।**
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
8. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
10. **संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।**
11. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. **महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।**
13. **विश्वविद्यालय/शासन द्वारा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।**
14. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता, **कला संकाय**/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा सामान्य), दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. उपकुलसचिव (कमेटी) को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय/गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव